

राजस्थान सरकार

स्वायत्तं शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
जी-३, राज भवल रेडीडेन्सी एरिया, रिविल लाईफ फाटक, जयपुर

वेबसाईट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

李-劉- caodlb@gmail.com

टेलीफोन / फैक्स: ८ - ०११-२२२३०७१

क्रमांक : प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/ १९३३६

दिनांक २५-८-५

—:: स्वीकृति आदेश ::—

विषय : नगर निगमों को वर्ष 2018-19 में माह अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 (03 माह) के लिए घंटी की राशि के पुनर्भरण हेतु अनुदान।

राज्य के नगर निगमों को राज्य सरकार द्वारा चुंगी समाप्ति की घोषणा के पश्चात् होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु माह अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 (03 माह) तक के लिये राशि रूपये 21683.26 लाख में से पैशन फण्ड की राशि रूपये 170.00 लाख की कटौती के बाद शेष राशि रूपये 21513.26 लाख (अक्षरे दो अरब पन्द्रह करोड़ तेरह लाख छब्बीस हजार मात्र) संलग्न सूची के अनुसार नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में इस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है—

विकलेय मद	बजट प्रावधान	
माग संरण्या — 29	स्थीकृत प्रावधान	— 86733.04 लाख
2217— शहरी विकास	पूर्व में जारी की गई राशि	— 43366.52 लाख
80 — सामान्य	विभागीय रस्तर पर कटौति	— 170.00 लाख
191 — नगर निगम को सहायता	इस स्थीकृति पर व्यय	— 21513.26 लाख
(03) — विशेष अनुदान — प्रतिवर्ष		
[00]	शेष	— 21683.26 लाख
12—सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (राज्य निधि)		

यह रसीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.क्रमांक 101805331 दिनांक 18.09.2018 के क्रम में जारी की गई है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प ६(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/19737. ८२ दिनांक २५-१-१८

प्रतिलिपि सद्वनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

01. निजी सचिव, मांगत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
 02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
 03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज० जयपुर।
 04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
 05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज० जयपुर को 15 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि राशि सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में माह के अन्तिम कार्य दिवस को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें। वित्त विभाग की टिप्पणी के क्रम में आरयूआईडीपी आदि की बकाया राशि की कटौतियां राज्य वित्त आयोग अनुदान से की जावेगी।

06. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज० जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, रथानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा, राज० जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (थोथ-3) विभाग, राज० जयपुर।
09. जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
10. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, निदेशालय रथानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. लेखाधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
12. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक रथानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज० जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया स्वीकृति में अंकित कालम संख्या 8 में अंकित राशि माह अक्टूबर 2018, कालम संख्या 9 में अंकित राशि माह नवम्बर 2018, कालम संख्या 10 में अंकित राशि माह दिसम्बर 2018 में माह के अन्तिम कार्य दिवस को सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में जमा करें ताकि प्रत्येक माह की एक तारीख को राशि आहरित की जा सके। प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगरीय निकाय कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों के भुगतान हेतु नियमानुसार धैक पारित करे तथा शेष राशि माह की अन्तिम तारीख तक आगामी माह के लिये राशि निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित होने पर भुगतान करें। समस्त कोषाधिकारी इस बिन्दु का विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक माह कॉलम संख्या 8, 9 एवम् 10 में अंकित राशि से अधिक राशि इस स्वीकृति के अन्तर्गत निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित नहीं की जावे। प्रतिमाह यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सुनिश्चित करें कि पूर्व में इस स्वीकृति से आहरित राशि से कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान कर कटौतियों की राशि सम्बन्धित मद्दों में जमा करा दी गयी है।
16. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर को प्रेषित कर निदेशित किया जाता है कि वे कॉलम संख्या 8, 9 एवम् 10 में आवंटित राशि का प्रत्येक माह के अन्तिम कार्य दिवस को संरक्षा के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरण करवाकर आगामी माह की 07 तारीख तक प्रथमत वेतन एवम् भत्तों के भुगतान एवं कर्मचारियों की कटौतियों को जमा कराने हेतु राशि आहरित करें तथा इस राशि का उपयोगिता प्रभाण पत्र शीघ्र विभाग को भिजावें। साथ ही आगलों धैक पारित करवाने से पूर्व कोषाधिकारी को प्रतिमाह प्रमाण पत्र प्ररत्तुत करे कि पूर्व में आहरित की गयी राशि में से कर्मचारियों के वेतन एवम् भत्तों की राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है तथा कटौती की राशि सम्बन्धित लेखों में जमा करवा दी गयी है।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर।
18. समस्त अधिकारीगण/बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
19. प्रभारी वेबसाइट/प्रभारी ई-गवर्नेंस/समन्वयक, रसी.एम.ए.आर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्राचली।

मुख्य लेखाधिकारी
 (हुलारा राय पवार)
 मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(191)वित्त-1(1)आय व्ययक/2017
कोषधिकारी,
जयपुर शहर, जोधपुर शहर, कोटा,
अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।

दिनांक : 26.09.2018

(स्वीकृति संख्या 349 /2018-19)

विषय : वर्ष 2018-19 में नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.6(ट)(159)लेखा/डीएलबी/चु.पु.अनु/2017-18/19736-82 दिनांक 24.09.2018 में अंकितानुसार सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रूपये 21513.26 लाख (अक्षरे दो अरब पन्द्रह करोड़ तेरह लाख छब्बीस हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे।

मांग संख्या — 29

2217 — शहरी विकास

80 — सामान्य

191 — नगर निगम को सहायता

(03) — विशेष अनुदान — प्रतिबद्ध

12 — सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) — राज्य निधि

राशि रूपये 21513.26 लाख

उक्त हस्तान्तरित की जाने वाली राशि में से माह अक्टूबर, 2018 में राशि रूपये 7171.09 लाख, माह नवम्बर, 2018 में राशि रूपये 7171.09 लाख व माह दिसम्बर, 2018 में राशि रूपये 7171.08 लाख प्रतिमाह विभागीय स्वीकृति (संलग्न रूपी) के अनुसार माह के अंतिम कार्य दिवस को संबंधित निगमों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित की जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

गवर्दीय

(जरावन्त रिंह)

रांयुक्त शारान सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा—राजस्थान, जयपुर।
- प्रमुख शासन शासन सचिव मंहोदय, आयोजना विभाग, राज० जयपुर।
- निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज० जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
- आयुक्त, नगर निगम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर।
- तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल) विभाग, जयपुर।
- संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज० जयपुर।
- अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।

रांयुक्त शारान सचिव वित्त (बजट)